# मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

याचिका क्र.70/2009

उपस्थित :

के.के. गर्ग सदस्य (अभियांत्रिकी)

सी.एस. शर्मा, सदस्य (इकॉनामिक्स)

विषय : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

राज्य भार प्रेषण केन्द्र, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (याचिकाकर्ता) का, अन्यों के अतिरिक्त, निम्न द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया गया :

1. श्री एस.के. गायकवाड, अधीक्षण यंत्री (एलडी : ई एण्ड टी)
   राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर
2. श्री एस.एस. पटेल, कार्यपालन यंत्री (एलडी : ई एण्ड टी)
   राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर

# विषय सूची


| | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|
| आदेश | 4 |
| सुनवाई | 8 |
| अध्याय–1 | 12 |
| वार्षिक स्थाई प्रभार | 12 |
| पूंजीगत व्यय | 12 |
| प्रचालन तथा संधारण व्यय | 15 |
| *कर्मचारी व्यय* | 16 |
| *प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय* | 17 |
| *मरम्मत एवं संधारण व्यय* | 18 |
| अवमूल्यन | 20 |
| ब्याज तथा वित्त प्रभार | 20 |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज | 20 |
| पूंजी पर प्रतिलाभ | 22 |
| अन्य– *संवैधानिक करों, उपकरों आदि का भुगतान* | 23 |
| अन्य आय | |
| वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखों का पुनर्मिलान/सत्यापन वित्तीय वर्ष 2009–10 के आदेश के साथ किया जाना | 24 |
| वार्षिक राजस्व आवश्यकता की संक्षेपिका | 25 |
| वार्षिक राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का आवंटन | 25 |
| शुल्क तथा प्रभारों की संक्षेपिका | 26 |
| विविध | 27 |
| विलंब भुगतान अधिभार | 27 |
| शीघ्र भुगतान किये जाने पर छूट | 27 |
| अध्याय–2 | 28 |
| आयोग के दिशा–निर्देश | 28 |

# तालिका सूची


| | | |
|---|---|---|
| तालिका 1 : | वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार) | 10 |
| तालिका 2 : | वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित की गई) | 11 |
| तालिका 3 : | आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया पूंजीगत व्यय | 12 |
| तालिका 4 : | प्रचालन एवं संधारण व्यय | 15 |
| तालिका 5 : | राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दावा किये गये कर्मचारी व्ययों के विवरण | 17 |
| तालिका 6 : | राभाप्रेके द्वारा दावा किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के विवरण | 18 |
| तालिका 7 : | राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दावा किये गये मरम्मत तथा संधारण व्ययों के विवरण | 19 |
| तालिका 8 : | वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये प्रचालन तथा संधारण व्यय | 20 |
| तालिका 9 : | अन्य आय (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार ) | 24 |
| तालिका 10 : | वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता | 25 |
| तालिका 11 : | वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं हेतु वार्षिक राभाप्रेके प्रभार | 26 |
| तालिका 12 : | वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विभिन्न राभाप्रके शुल्कों व प्रभारों की प्रयोज्यता एवं उद्ग्रहण | 26 |

## आदेश

(आज दिनांक 20 मई, 2010 को पारित किया गया)

1. यह आदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र अथवा स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर ( जिसे एतद् पश्चात् ''राभाप्रेके'' कहा गया है) द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( जिसे एतद पश्चात् ''मप्रविनिआ'' या ''आयोग'' कहा गया है) के समक्ष दाखिल की गई याचिका क्रमांक 70, वर्ष 2009 से संबंधित है जो कि ''वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु लघु–अवधि तथा दीर्घ–अवधि तथा प्रयोक्ताओं द्वारा सेवाओं के उपयोग हेतु भुगतान योग्य शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण'' से संबंधित है। केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 31(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश क्रमांक 2489/13/04 दिनांक 17. 5. 2004 द्वारा राज्य में विद्युत प्रणाली के समन्वित प्रचालन को सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despatch Centre) को शीर्ष निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसका प्रचालन राज्य पारेषण इकाई (State Transmission Utility) द्वारा किया जाएगा जिस एतद् पश्चात् रापाई (STU) कहा गया है।

2. यह कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 32(3) के अनुसार, राभाप्रेके (राज्य भार प्रेषण केन्द्र) विद्युत के राज्यान्तरिक पारेषण में संलग्न विद्युत उत्पादक कम्पनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों से ऐसे शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगा जैसा कि इसे राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। इसके पश्चात्, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 183 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ''कठिनाईयां दूर किया जाना'' संबंधी आदेश जो पारेषण प्रणालियों के उपयोग हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित है, दिनांक 8 जून, 2005 को {एसओ क्रमांक 795(ई)} द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार *''राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों से ऐसे शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगा जैसा कि इसे राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।''* तद्नुसार अब राभाप्रेके प्रभार अनुज्ञप्तिधारियों/प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान योग्य हैं।

3. वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राभाप्रेके के शुल्क तथा प्रभार (टैरिफ आदेश) आयोग द्वारा 26.11.2009 को पारित किये गये। राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 07–05/ईएण्डटी/ 645–VII/1977 दिनांक 27.11.2009 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों के अनुमोदन हेतु यह याचिका दिनांक 19.5.2006 को अधिसूचित मप्रविनिआ(राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम, 2006) जैसा कि इसे दिनांक 26.12.2008 को संशोधित किया गया है, के अनुसार दायर की गई है। याचिका को याचिका क्रमांक 70, वर्ष 2009 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

4. तदोपरांत, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों के अनुमोदन के संबंध में आयोग द्वारा पत्र क्रमांक एमपीईआरसी/230 दिनांक 25.1.2010 द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को विषय वस्तु से संबंधित याचिका में प्रस्तुत की गई अपूर्ण जानकारियों के संबंध में सूचित किया गया तथा राभाप्रेके को वांछित जानकारी दिनांक 10.2.2010 तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। याचिकाकर्ता द्वारा वांछित जानकारी उनके पत्र क्रमांक 252 दिनांक 10.2.2010 द्वारा प्रस्तुत की गई।

5. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 27.11.2009 को प्रस्तुत की गई याचिका में निम्न दावे प्रस्तुत किये गये हैं :–

**5.1 कर्मचारी लागत (Employee Cost)**

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके/उप–राभाप्रेके के अंतर्गत कर्मचारी लागत की गणना दिनांक 31.10.2009 को कार्यरत कर्मचारी संख्या (Working Strength ) तथा राभाप्रेके/उप–राभाप्रे केन्द्रों में प्रशिक्षण उपरांत पदस्थापित किये जाने वाले 16 सहायक यंत्रियों के आधार पर की गई है। कुल कर्मचारी लागत रूपये 583.65 लाख आती है। अन्य रिक्त पदों, सेवानिवृत्ति पर टर्मिनल प्रसुविधाओं का भुगतान (जैसे कि पेंशन, उपादान तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत अर्जित अवकाश का नगदीकरण) संबंधी प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है।

(1) आगामी वर्ष हेतु, मंहगाई भत्ते की दर प्रथम छः माह हेतु 22 प्रतिशत तथा शेष छः माह की अवधि हेतु 27 प्रतिशत मानी गई है।

(2) आगामी वर्ष हेतु, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान प्रति कर्मचारी रूपये 450/– प्रतिमाह माना गया है।

(3) वर्ष 2010–11 के दौरान श्रेणी पीबी–4 के अंतर्गत अधिकारियों हेतु वेतन पुनरीक्षण के कारण भुगतान योग्य बकाया राशि (चार किस्तों में देय) कर्मचारी लागत के अंतर्गत मानी गई है।

(4) कार्यरत कर्मचारी संख्या हेतु अनुग्रह (Ex Gratia)/बोनस भुगतान रूपये 2500/– प्रति कर्मचारी की दर से माना गया है।

(5) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु राभाप्रेके के शुल्क तथा प्रभारों हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार टर्मिनल प्रसुविधाओं को मान्य नहीं किया गया है।

**5.2 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (Administrative & General Expenses)**

वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके तथा उप–राभाप्र केन्द्रों हेतु, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय रूपये 136.90 लाख माने गये हैं। आगामी वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की गणना निम्न पदों को मान कर की गई है :

(1) **बीमा :** वर्तमान में राभाप्रेके के भवन तथा उपकरण बीमाकृत नहीं किये गये हैं, परन्तु अब इनके बीमा हेतु प्रावधान किया गया है।

(2) **<u>दूरभाष व्यय :</u>** सामान्य समुच्चय (Pool) सेवाओं के माध्यम से प्रस्तावित की गई संसूचना सुविधाओं पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, राभाप्रेके/उप–राभाप्रेके के अधिकारियों के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त संसूचना सुविधा हेतु व्ययों को शामिल किया गया है।

(3) **<u>यात्रा व्यय :</u>** वर्ष 2009–10 के लिए समस्त कार्यरत कर्मचारी संख्या हेतु प्रस्तावित यात्रा व्ययों की गणना, वर्ष 2007–08 हेतु राभाप्रके द्वारा वास्तविक यात्रा व्ययों में 10 प्रतिशत अभिवृद्धि दर के अनुसार आनुपातिक आधार पर की गई है। वर्ष 2010–11 हेतु यातायात व्ययों के प्रक्षेपण, बढ़ी हुई पदाधिकारियों की संख्या तथा उपलब्धता आधारित विद्युत दर (ABT)/खुली पहुंच (OA), विनियामक तथा विधिक विषयों, प्रशिक्षण आदि को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2009–10 में उल्लेख किये गये के अनुरूप रखे गये हैं।

(4) **<u>वाहनों को भाड़े पर लिया जाना :</u>** वर्तमान में राभाप्रेके हेतु विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (राभाप्रेके) के लिए केवल एक वाहन प्रदान किया गया है तथा उप–राभाप्रे केन्द्रों हेतु किसी भी वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, राभाप्रके हेतु एक अतिरिक्त वाहन तथा दो उप–राभाप्रे केन्द्रों में से प्रत्येक हेतु एक–एक वाहन का प्रावधान किया गया है।

(5) **<u>पुस्तकों तथा पत्रिकाओं हेतु शुल्क तथा अंशदान :</u>** वर्ष 2008–09 हेतु कच्चे चिट्ठे (Trial Balance) में, शुल्क तथा अंशदान हेतु वास्तविक व्यय रूपये 10.02 लाख दर्शाया गया है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र पावर कमेटी (WRPC) हेतु रूपये 9.98 लाख की राशि सम्मिलित है। तथापि, चालू तथा आगामी वर्ष में ''डब्लूआरपीसी शुल्क'' तथा ''पुस्तकों तथा पत्रिकाओं हेतु शुल्क तथा अंशदान'' पृथक–पृथक दर्शाए गये हैं।

(6) **<u>स्टेशनरी व्यय :</u>** स्टेशनरी व्ययों की गणना विभिन्न प्रतिवेदनों को तैयार करने में बढ़ी हुई आवश्यकताओं, पूंजीगत कार्यों के बढ़े हुए दायित्वों, उपलब्धता आधारित विद्युत दर (ABT) /खुली पहुंच, विद्युत अधिनियम, विनियामक तथा विधिक विषयों आदि को दृष्टिगत रखते हुए की गई है।

(7) **<u>विद्युत प्रभार :</u>** विद्युत प्रभारों हेतु प्रावधान राभाप्रेके, जबलपुर के वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु वास्तविक विद्युत देयकों के आधार पर किया गया है। आगामी वर्ष हेतु भी, ऊर्जा बचत उपायों पर विचार करते हुए, समरूप राशि का प्रावधान किया गया है।

(8) **<u>अतिथि–सत्कार (Entertainment) व्यय :</u>** अतिथि सत्कार संबंधी व्ययों की गणना राभाप्रेके के बढ़े हुए दायित्वों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए की गई है।

(9) **<u>विधिक व्यय :</u>** विधिक व्ययों की गणना विभिन्न विधिक विषयों तथा विनियामक मामलों पर विचार करते हुए की गई है।

**5.3 मरम्मत तथा संधारण व्यय (Repairs & Maintenance Charges) :**

वर्ष 2010–11 हेतु मरम्मत तथा संधारण व्ययों को रूपये 204.92 लाख अनुमानित किया गया है। इनमें स्काडा (SCADA) / ईएमएस (EMS) तथा वाइड बैंड संसूचना प्रणाली,दीर्घ अवधि सेवा अनुबंध (Long Term Service Agreements- LTSA), सहायक विद्युत प्रदाय प्रणाली तथा प्रणाली

सहायता सेवाओं (System Support Services) का वार्षिक संधारण अनुबंध शामिल है। ये प्रभार पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (WRLDC) द्वारा प्रणालियों के ओईएम से प्राप्त किये गये प्रस्तावों के अनुसार राभाप्रके तथा उप–राभाप्रे केन्द्रों की पांच वर्षीय मरम्मत तथा संधारण योजना प्रस्तुत की जा चुकी है।

**5.4 अवमूल्यन, पूंजी पर प्रतिलाभ तथा आयकर (Depreciation, ROE and Income Tax) :**

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राभाप्रेके की परिसम्पत्तियों को म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनियों की परिसम्पत्तियों में सम्मिलित कर लिया गया है तथा राभाप्रेके हेतु कोई पृथक तुलन–पत्र अधिसूचित नहीं किया गया है। अवमूल्यन राशि की गणना रूपये 12.52 लाख की गई है। पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना मानदण्डीय ऋण तथा पूंजी के 70 : 30 अनुपात के आधार पर रूपये 12.44 लाख की गई है। आयकर राशि की गणना रूपये 4.23 लाख की गई है। तथापि, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु पारित आदेश के अनुरूप इन प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए राभाप्रेके की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में भी वार्षिक राजस्व आवश्यकता, अवमूल्यन तथा आयकर हेतु भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**5.5 ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges) :**

ब्याज तथा वित्त प्रभार में केवल एक ही घटक शामिल होता है, अर्थात्, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज। कार्यकारी पूंजी की गणना में कर्मचारी लागत, प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय, मरम्मत तथा संधारण लागत एवं कार्यकारी पूंजी पर ब्याज सम्मिलित होते हैं। मासिक कार्यकारी पूंजी की राशि की गणना रू. 78.03 लाख की गई है। राभाप्रेके द्वारा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (IWC) की राशि की गणना 14 प्रतिशत ब्याज दर मान कर, रूपये 10.92 लाख की गई है।

राभाप्रेके की पूंजीगत व्यय (capex) की आवश्यकता, अनुसूचीकरण तथा प्रचालन प्रभारों (Scheduling & Operation Charges) की 50 प्रतिशत राशि, जिसे मप्रविनिआ के विनियम के अनुसार राभाप्रेके के अधोसंरचना विकास हेतु जमा रखा गया है, में से किया जाएगा।

**5.6 शुल्क तथा प्रभारों से राजस्व (Revenue from Fee & Charges) :**

शुल्क तथा प्रभारों से कुल राजस्व, राभाप्रके शुल्क तथा प्रभार के रूप में तीन विद्युत वितरण कंपनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) से राजस्व की प्राप्ति और खुली पहुंच क्रेताओं से अन्य प्रभारों, अर्थात प्रचालन तथा अनुसूचीकरण, संयोजन तथा आवेदन प्रक्रिया शुल्क (Application Processing Fee) हेतु राजस्व को प्राप्ति दर्शाया गया है। कुल शुल्क तथा प्रभारों का विभाजन राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों (दीर्घअवधि क्रेताओं) के मध्य उन्हें आवंटित की गई पारेषण क्षमता के अनुपात में किया गया है।

**5.7 पूंजीगत व्यय (Capex) :**

राभाप्रेके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 की राभाप्रेके का पांच वर्षीय चक्र–अनुक्रम (Rolling), पूंजीगत व्यय (capex) योजना आयोग की ओर

उनके पत्र क्रमांक 1158 दिनांक 22.7.2009 द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा उनके द्वारा आयोग से इनका अनुमोदन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

आयोग द्वारा राभाप्रेके हेतु पूर्व में ही वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु उनके टैरिफ आदेश में पूंजीगत व्यय का अनुमोदन किया जा चुका है।

**5.8 अन्य आय (Other Income) :**

रूपये 171.00 लाख की अन्य आय का प्रक्षेपण अनुसूचीकरण एवं प्रचालन प्रभारों, संयोजन प्रभारों तथा आवेदन प्रक्रिया शुल्क से आय के रूप में किया गया है।

**5.9 संवैधानिक करों, अभिकरों का भुगतान (Payment of Statutory Taxes, Duties) :**

राभाप्रेके द्वारा राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों से उद्ग्रहित तथा संग्रहित किये जाने वाले शुल्क तथा प्रभारों की गणना में संवैधानिक करों, उद्ग्रहण (levy), उपकर (Cess) अथवा शासन अथवा अन्य किसी संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाया गया अन्य किसी प्रकार का महसूल (Impost) शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार के व्यय, यदि कोई हों, को राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इनका समायोजन अनुवर्ती वर्षों में किया जाएगा।

**सुनवाई (Hearing)**

6. आयोग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 667 दिनांक 15.3.2010 द्वारा सुनवाई तिथि 3.4.2010 निर्धारित की गई तथा समस्त प्रतिवादियों, यथा, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल), मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पूक्षेविविकं ) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (मक्षेविविकं ), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पक्षेविविकं ), नर्मदा हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी) तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र या एसईजेड) से याचिका पर टिप्पणियां/सुझाव चाहे गये थे।

7. निर्धारित तिथि तक किसी भी प्रतिवादी से विषयांतर्गत कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। आयोग द्वारा राभाप्रेके की याचिका पर एक सुनवाई का आयोजन अपने भोपाल स्थित कार्यालय में दिनांक 3.4.2010 को किया गया। सुनवाई के दौरान केवल पूर्व क्षेविविकं का प्रतिनिधि ही उपस्थित हुआ। आयोग द्वारा आवेदक की सुनवाई की गई तथा विषयवस्तु से संबंधित याचिका पर प्रतिवेदक को अपने सुझाव/टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। पूर्व क्षेविवि कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा शपथ पत्र दिनांक 2.4.2010 द्वारा अपनी लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं, जिसमें उल्लेख किया गया कि '' *याचिका में उल्लेखित किये गये समस्त अनुच्छेदों (paragraphs) को स्वीकार किया जाता है, केवल अनुच्छेद 4 को छोड़कर अर्थात् प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों को छोड़कर। इस अनुच्छेद में, विद्युत प्रभारों हेतु प्रावधान वित्तीय वर्ष 2008–09 के विद्युत देयक को मानकर किया गया है जो रूपये 90.15 लाख है। यहां उल्लेख किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 08–09 हेतु राभाप्रेके का विद्युत देयक रूपये 81.95 लाख है जबकि उक्त वर्ष हेतु यह राशि (माह अप्रैल 09*

*से माह फरवरी 10 तक 11 माह हेतु) रूपये 29.81 लाख है। अतएव विद्युत प्रभारों हेतु प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2009–10 के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए।''*

**8.**

9. आयोग द्वारा दिनांक 3.4.2010 को चाहे गये स्पष्टीकरणों के उत्तर में राभाप्रेके द्वारा पत्र दिनांक 24.4.2010 को शपथ पर निम्नानुसार निवेदन किया गया :–

*''यह कि दिनांक 3.4.2010 को आयोजित सुनवाई के दौरान माननीय आयोग द्वारा राभाप्रेके को कर्मचारी लागत, मरम्मत तथा संधारण व्ययों, प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों, प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों से अर्जित राजस्व के उपयोगीकरण आदि के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था। वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण विचारार्थ तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है :*

***कर्मचारी लागत :*** *माननीय आयोग द्वारा चाहे गये अनुसार, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वेतन घटक की पुनर्गणना कर ली गई है तथा 16 सहायक यंत्रियों के वेतन प्रावधान को इनके राभाप्रेके में पदस्थापना के उपरांत, अर्थात 26 अक्टूबर, 2010 से 31 मार्च 2011 तक की सीमा तक पुनरीक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, माह अप्रैल, 2010 तथा जुलाई 2010 से घोषित वास्तविक मंहगाई भत्ते की प्रतिशत दर के अनुसार, मंहगाई भत्ते को 22 प्रतिशत ( 6 माह हेतु) + 27 प्रतिशत ( 6 माह हेतु ) से 22 प्रतिशत ( 1 माह) + 25 प्रतिशत ( 3 माह) + 27 प्रतिशत ( 4 माह) + 30 प्रतिशत (4 माह) के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है। इस प्रकार, पुनरीक्षित कर्मचारी लागत की राशि की गणना याचिका में उल्लेख किये गये रूपये 583.65 लाख के स्थान पर रूपये 560.09 लाख आती है। अब पुनरीक्षित कर्मचारी लागत की गणना के विवरण परिशिष्ट–1 पर दर्शाए गये हैं। इसके अतिरिक्त, चाहे गये अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राभाप्रेके की कर्मचारी लागत (उप–राभाप्रे केन्द्रो को छोड़कर) की गणना की गई है तथा त्वरित संदर्भ हेतु इसे परिशिष्ट–2 में संलग्न किया गया है।*

***मरम्मत एवं संधारण व्यय :*** *जैसा कि सुनवाई के दौरान निवेदन किया गया है, स्काडा/ईएमएस प्रणाली हेतु प्रस्तावित दीर्घ–अवधि सेवा अनुबंध (LTSA) तथा वाईड बैंड संसूचना प्रणाली हेतु दीर्घ–अवधि सेवा अनुबंध पावर ग्रिड को भुगतान योग्य उपरि प्रभारों को सम्मिलित कर हैं। हाल ही में, पश्चिमी क्षेत्र पावर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्काडा/ईएमएस प्रणाली के दीर्घ–अवधि सेवा अनुबंध हेतु कोई भी उपरि प्रभार पावर ग्रिड को भुगतान–योग्य न होंगे। तदनुसार, स्काडा/ईएमएस प्रणाली के लिए दीर्घ–अवधि सेवा अनुबंध हेतु विभागीय प्रभारों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार, पुनरीक्षित मरम्मत तथा संधारण व्यय की गणना याचिका में किये गये उल्लेखानुसार रूपये 204.92 लाख के स्थान पर रूपये 189.35 लाख आ रही है। पुनरीक्षित मरम्मत एवं संधारण व्ययों की विस्तृत गणना परिशिष्ट–3 में संलग्न की गई है।*

***प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय :*** *प्रतिवादी क्रमांक 5 के प्रतिनिधि मप्र पूर्व क्षेत्र विविकं., जबलपुर ने सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि राभाप्रेके के विद्युत देयकों की राशि अवधि अप्रैल 2009 से*

*फरवरी, 2010 के मध्य (11माह हेतु) रूपये 29.81 लाख है तथा माननीय आयोग को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु उपरोक्त देयकों के आधार पर विद्युत प्रभारों पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत प्रभार याचिका में उल्लेखित रूपये 90.15 लाख के स्थान पर रूपये 35.35 लाख (अर्थात वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु रूपये 32.14 लाख पर 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि कर) पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया । इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक तथा सामान्य प्रभारों की गणना याचिका में उल्लेखित रू. 136.90 लाख के स्थान पर रूपये 82.10 लाख आती है। (देखें परिशिष्ट–4) ''*

10. प्रचालन तथा अनुसूचीकरण व संयोजन प्रभारों तथा आवेदन प्रक्रिया शुल्क से अर्जित राजस्व की उपयोगिता से संबंधित विषयों के संबंध में, याचिकाकर्ता आयोग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर देने में असमर्थ रहा तथा निवेदन किया कि यह मुद्दा एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि, जबलपुर के वित्तीय प्रकोष्ठ को निर्दिष्ट किया गया है।

11. वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके द्वारा दाखिल की गई कुल राजस्व आवश्यकता, पूंजीगत निवेश को सम्मिलित करते हुए, निम्नानुसार है :

**तालिका 1 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार)**

**(राशि लाख रूपये में)**

| सरल क्रमांक | विवरण | राशि (मूल प्रस्तुति के अनुसार) | राशि (पुनरीक्षित) |
|---|---|---|---|
| 01 | कर्मचारी लागत | 583.65 | 560.09 |
| 02 | प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय | 136.90 | 82.10 |
| 03 | मरम्मत तथा संधारण व्यय | 204.92 | 189.35 |
| 04 | अवमूल्यन | 0 | 0 |
| 05 | ब्याज तथा वित्त प्रभार में से ब्याज का पूंजीकरण घटाकर तथा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज जोड़कर | 10.92 | 10.92 |
| 06 | पूंजी (Equity) / पूंजी निवेश पर प्रतिलाभ | 0 | 0 |
| 07 | आयकर हेतु प्रावधान | 0 | 0 |
| **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता** | | **936.39** | **842.46** |

12. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 अधिसूचित किया गया है, जिसे कि समय–समय पर संशोधित किया गया है। इन विनियमों के अनुसार, आयोग द्वारा इस आदेश में राभाप्रेके प्रभारों के अतिरिक्त शुल्क तथा प्रभारों का अवधारण भी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, आयोग ने राभाप्रेके की वार्षिक राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की है :

**तालिका 2 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित की गई)**

| स. क्र. | विवरण | राशि (लाख रूपये में) |
|---|---|---|
| 01 | कर्मचारी लागत | 557.46 |
| 02 | प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय | 82.10 |
| 03 | मरम्मत तथा संधारण व्यय | 189.35 |
| 04 | ब्याज तथा वित्त प्रभार | 0.00 |
| | **कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता** | **828.91** |
| | **घटायें : अन्य आय {प्रचालन तथा अनुसूचीकरण (O&S) आदि}** | 171.00 |
| **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता** | | **657.91** |

13. वार्षिक राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का आवंटन तथा विभिन्न शुल्कों तथा प्रभारों की प्रयोज्यता इस आदेश के साथ संलग्न विस्तृत आदेश के साथ संलग्न है। आयोग निर्देश देता है कि इस आदेश के अंतर्गत अवधारित राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभार दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील होंगे तथा दिनांक 31 मार्च, 2011 तक प्रभावशील रहेंगे। याचिकाकर्ता को इस आदेश के कार्यान्वयन हेतु मप्रविनिआ (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार सात (7) दिवस की सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से आगे की अवधि हेतु राभाप्रेके के दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं, हेतु अक्षय स्त्रोतों को छोड़कर, देयकों की पुनर्गणना करनी होगी तथा आयोग को इस आदेश के परिपालन किये जाने संबंधी सूचना देनी होगी।

14. उपरोक्तानुसार आदेशित किया गया तथा संलग्न विस्तृत कारणों, आधार तथा शर्तों के साथ पढ़ा गया।

हस्ता/–
**( सी.एस. शर्मा )**
सदस्य (इकानॉमिक्स)

हस्ता /–
**( के.के. गर्ग )**
सदस्य (अभियांत्रिकी)

स्थान : भोपाल
दिनांक : 20 मई, 2010

# अध्याय –1

## वार्षिक स्थाई प्रभार (Annual Fixed Charges)

**पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण :** याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार है :

1.1 ''निर्माणाधीन कार्य जिनका कि क्रियान्वयन वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान किया जाना है को परिशिष्ट सीपी–1 में सारबद्ध किया गया है। राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि हेतु पांच वर्षीय चक्र–अनुक्रम के अनुसार राभाप्रके की पूंजीगत व्यय योजना माननीय आयोग को पत्र क्रमांक 07–05/645–VI/1158 दिनांक 22.7.2009 को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है।'' राभाप्रेके ने आयोग को इसे अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

**आयोग का विश्लेषण**

1.2 आयोग द्वारा पूर्व में ही राभाप्रके की पंचवर्षीय पूंजीगत व्यय योजना को वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश दिनांक 26.11.2009 के अंतर्गत ही अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है, जिसके विशिष्ट बिन्दुओं को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

*''आयोग द्वारा पाया गया है कि राभाप्रेके ने वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 की पूंजीगत व्यय योजना में पुराने फर्नीचर को बदले जाने के प्रावधान को एक–मुश्त आधार पर सम्मिलित किया है। इस प्रकार का सामान्य प्रावधान पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) का भाग नहीं होना चाहिए वरन् इस पर व्यय संचालन तथा संधारण व्ययों (O&M Expenses) के रूप में किया जा सकता है। आयोग ने इस सामान्य प्रावधान को पूंजीगत व्यय योजना का भाग नहीं माना है। ''*

राभाप्रेके के प्रस्तावित पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत व्यय योजना का अनुमोदन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

**तालिका 3 : आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया पूंजीगत व्यय**

| स.क्र. | परियोजना/योजना/कार्य का विवरण | वर्ष हेतु निधि की प्रस्तावित आवश्यकता (लाख रूपये में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** | **2012-13** | **2013-14** |
| **ए** | **प्रगति पर कार्य (CWIP)** | | | | | |
| 1. | राभाप्रके हेतु पीएबीएक्स का प्रावधान | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 2. | राभाप्रेके पर एक वातानुकूलित संयंत्र की स्थापना | 65.00 | -- | -- | -- | -- |
| 3. | सीमा दीवार (Boundary wall) | 19.80 | -- | -- | -- | -- |
| **उप–योग ए (1) से ए (3)** | | **104.80** | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **बी** | **प्रस्तावित मुख्य कार्य (Capital works)** | | | | | |
| 1. | अग्नि चेतावनी प्रणाली (Fire Alarm System) | 22.42 | -- | -- | -- | -- |
| 2. | ध्वनि अभिलेखन प्रणाली (Voice Recording System) | 3.60 | -- | -- | -- | |
| 3. | इलेक्ट्रानिक सुरक्षा प्रणाली | 6.30 | -- | -- | -- | -- |
| 4. | अतिरिक्त कार्यालय | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
| 5. | कार्यालय उपकरण | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
| 6. | स्लैब तथा नवीनीकरण | -- | 10.90 | -- | -- | -- |
| 7. | कांफ्रेंस प्रणाली | -- | 10.14 | -- | -- | -- |
| 8. | वैब सर्वर तथा वैबसाईट | -- | 8.50 | -- | -- | -- |
| 9. | अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
| 10. | डेस्क तथा आगंन्तुक विश्राम कक्ष | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
| 11. | कृत्रिम छत (False ceiling) | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
| *12.* | *पुराने फर्नीचर की प्रतिस्थापना* | -- | -- | -- | *15.00* | *15.00* |
| **उप–योग बी(1) से बी(12)** | | **34.82** | **35.54** | **16.00** | **25.00** | **15.00** |
| **(ए + बी ) का योग** | | **139.62** | **35.54** | **16.00** | **25.00** | **15.00** |
| **कुल अनुमोदित पूंजीगत व्यय** | | **139.62** | **35.54** | **16.00** | **10.00** | **0.00** |

*1.3 आयोग द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये पूंजीगत व्यय का सिद्धान्ततः अनुमोदन निम्न शर्तों के अध्यधीन किया गया है :*

*1.3.1.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके) को पूंजीगत व्यय निधि का उचित प्रकार से लेख्यांकित करना होगा तथा पूंजीगत व्यय निधि पर बैंक से अर्जित किये गये ब्याज को भी लेख्यांकित करना होगा।*

*1.3.1.2 राभाप्रेके को मुख्य कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करना होगा ताकि राभाप्रेके को सेवाओं में सुधार द्वारा यथोचित लाभ मिल सके। अन्य हितधारकों (Stak holders) को भी इन कार्यों से समयबद्ध रूप से लाभ प्राप्त होने चाहिए। अतएव, राभाप्रेके को यथासम्भव सर्वोत्तम विधि द्वारा तथा अनुमोदित वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत कार्यों को समयबद्ध रूप से निष्पादित किये जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।*

*1.3.1.3 राभाप्रके ने अधिकांश मुख्य कार्य (Capital Works) पूंजीगत व्यय (Capex) योजना के प्रथम वर्ष, अर्थात वर्ष 2009–10 में ही निष्पादित किया जाना निर्धारित किया है। राभाप्रके को सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित अवधि से अधिक समय लगने पर, यदि कोई हो, तो वह लागत वृद्धि में परिणत नहीं होगा। राभाप्रेके को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य निष्पादन में निर्धारित समयावधि से अधिक समय लगने के कारण लागतों में होने वाली कोई भी वृद्धि, बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप तथा भारत स्थित अन्य राज्य भार प्रेषण केन्द्रों, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों*

*के अनुरूप होनी चाहिए। आयोग शुल्क तथा प्रभारों के अवधारण के प्रयोजन से अनुचित बढ़ी हुई किसी भी लागत को अनुज्ञेय नहीं करेगा।*

*1.3.1.4 राभाप्रेके द्वारा वस्तुओं, उपकरणों, कलपुर्जो, की कीमत संस्थापना (Installation)/कार्यशील (commissioning) किये जाने संबंधी व्यय, माल ढुलाई का भाड़ा आदि हेतु सामग्री प्रदायकर्ताओं/विक्रेताओं (vendors) द्वारा बोली गई/प्रभारित की गई दरों को उचित रूप से विश्लेषित तथा सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा वहन की गई लागत, अच्छे गुणवत्ता कार्य हेतु कीमत न्यूनतम संभव विद्यमान बाजार दर के अनुरूप है।*

*1.3.1.5 राभाप्रेके को भविष्य में शुल्कों तथा प्रभारों के अवधारण हेतु प्रत्येक कार्य की अद्यतन भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का प्रतिवेदन राभाप्रेके द्वारा दाखिल की गई याचिका के साथ सहपत्र के रूप में संलग्न करना होगा।*

*1.3.1.6 यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि योजनाओं का निष्पादन प्रभावित न हो तथा इसके साथ ही प्रस्ताव अनुसार आधार लागत पर अधिप्राप्त की जा रही सामग्री का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, किसी अतिरिक्त वित्तीय दायित्व के परिवर्जन हेतु, राभाप्रेके को समयबद्ध प्रक्रिया नियोजित किये जाने का परामर्श दिया जाता है।*

*1.3.1.7 याचिकाकर्ता के अनुसार, इस राशि की वित्तीय व्यवस्था आंतरिक स्त्रोतों से, अर्थात् शुल्क तथा प्रभारों के माध्यम से की जाएगी। आयोग वित्तीय वर्ष 10 हेतु पूंजीगत व्यय रूपये 139.62 लाख के प्रस्तावित स्तर पर अनुमोदित करता है। आयोग द्वारा राभाप्रेके हेतु योजना के विरूद्ध वास्तविक व्यय का अनुवीक्षण किया जाएगा। अनुवर्ती वर्षों हेतु पूंजीगत व्यय का पुनर्विलोकन तथा अनुमोदन तत्संबंधी टैरिफ आदेश के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।*

1.4 आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 230 दिनांक 25.01.2010 द्वारा पैरा 3.2 के अंतर्गत राजस्व अंतर के विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश के पैरा 1.5 (ई) व 3.3 के अंतर्गत पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) तथा मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम) 2006 के विनियम 10 के अनुसार वास्तविक रूप से किये गये पूंजीगत व्यय हेतु पृथक लेखों के विवरण चाहे गये।

1.5 राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 252 दिनांक 10.2.2010 द्वारा निवेदन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश के पैरा 3.2 के अनुपालन में विद्युत वितरण कंपनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) की ओर देयक प्रस्तुत किये जा चुके हैं। विशेष आर्थिक परिक्षेत्र द्वारा प्रभारों का भुगतान किया जा चुका है। जहां तक विद्युत वितरण कंपनियों से शुल्क तथा प्रभारों से प्राप्ति का संबंध है, मप्रराविमं की वित्त शाखा द्वारा सूचित किया गया कि राभाप्रेके के वेतन, प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों एवं मरम्मत तथा संधारण व्ययों का भुगतान एमपीपीटीसीएल द्वारा किया जा रहा है तथा इन्हें राभाप्रेके के देयकों के विरूद्ध भुगतान माना जाए। जहां तक पूंजीगत व्यय निधि का प्रश्न है, लघु अवधि खुली पहुंच क्रेताओं से प्राप्त की गई प्रचालन एवं

अनुसूचीकरण प्रभारों की राशि का 50 प्रतिशत भाग पूंजीगत व्यय योजना हेतु वार्षिक निधि आवश्यकता की आपूर्ति हेतु पर्याप्त है। राभाप्रेके के व्ययों की आपूर्ति इस व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है अतएव इस हेतु कोई भी राजस्व अंतर पाया नहीं गया है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु, टैरिफ आदेश के पैरा 1.5 के परिपालन में, राभाप्रेके द्वारा गतिविधि अनुसूची (activity schedule) तथा प्रगति पर निर्माण कार्य का एक चार्ट प्रस्तुत किया है जो यह प्रदर्शित करता है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में रूपये 20.00 लाख की राशि का एक पूंजीगत कार्य (राभाप्रेके तथा उपराभाप्रे केन्द्रों हेतु पीएबीएक्स प्रशासनिक तथा एक्सप्रेस वॉयस चैनलों हेतु प्रदाय किया जाना) में तथा रूपये 119.62 लाख राशि के अन्य कार्यो की वित्तीय वर्ष 2010–11 में ही पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

1.7 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभारों का उदग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम), 2006 के विनियम 10 के परिपालन में, राभाप्रेके ने निवेदन किया है कि प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों को क्षेत्रीय लेखाधिकारी एमपीपीटीसीएल कार्यालय के एसएलडीसी लेखा में जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु कच्चे चिट्ठे (Trial Balance) पर आधारित विस्तृत चार्ट, जिसे दिनांक 1.8.2009 को प्रमाणित किया गया है, यह दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान राभाप्रेके के नियंत्रण कक्ष में विभाजित वातानुकूल संयत्र (split AC) स्थापित किये जाने पर रूपये 1,38,800 का व्यय किया जा चुका है तथा रूपये 61,29,700 की अवशेष राशि पूंजीगत व्यय हेतु उपलब्ध है।

1.8 आयोग की अभ्युक्ति है कि राभाप्रेके के पास पूंजीगत व्यय की आपूर्ति हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध है परन्तु इसके बावजूद प्रस्तावित कार्य समयावधि के अंतर्गत पूर्ण नहीं किये गये हैं। अतएव आयोग पुनः राभाप्रेके को निर्देश देता है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु टैरिफ आदेश के अंतर्गत पूंजीगत व्यय योजना को सिद्धांन्ततः अनुमोदन प्रदान करते समय आयोग द्वारा उल्लेखित शर्तो का कड़ाई से पालन किया जाए।

**प्रचालन तथा संधारण (Operation & Maintenance - O & M) व्यय**

1.9 प्रचालन एवं संधारण (O & M) व्ययों में कर्मचारी व्यय, प्रशासनिक एवं सामान्य (A & G) व्यय तथा मरम्मत एवं संधारण (R & M) व्यय शामिल होते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से निम्न प्रचालन एवं संधारण व्ययों के विवरण प्रस्तुत किये गये हैं :

**तालिका 4 : प्रचालन एवं संधारण व्यय (लाख रूपये में)**

| स.क्र. | विवरण | वित्तीय वर्ष 07 | वित्तीय वर्ष 08 | वित्तीय वर्ष 09 | वित्तीय वर्ष 10 | वित्तीय वर्ष 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | टैरिफ आदेश के अनुसार | राभाप्रके द्वारा प्रस्तावित (पुनरीक्षित) |
| 1 | कर्मचारी व्यय | 216.22 | 249.41 | 328.81 | 504.84 | 560.09 |
| 2 | प्रशासनिक एवं सामान्य | 14.86 | 13.59 | 26.86 | 136.23 | 82.10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | व्यय | | | | | |
| 3 | मरम्मत एवं संधारण व्यय | 8.41 | 7.46 | 24.97 | 170.22 | 189.35 |
| | **योग** | **239.49** | **270.45** | **380.64** | **811.29** | **831.54** |

**कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)**

1.10 राभाप्रेके द्वारा दावा किये गये रू. 583.65 कुल कर्मचारी व्ययों में मूल वेतन + ग्रेड वेतन की राशि में रूपये 419.91 लाख की राशि शामिल है। आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 230 दिनांक 25.1. 2010 द्वारा मूल वेतन की कुल राशि वित्तीय वर्ष 2009–10 में रूपये 150.66 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2010–11 में रूपये 419.91 लाख में हो जाने बावत् विस्तृत विवरण चाहे गये थे। राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 252 दिनांक 10.2.2010 द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रूपये 419.91 लाख के अनुमान में अंतिम वेतन पुनरीक्षण के अनुसार मूल वेतन + ग्रेड वेतन शामिल है जबकि वित्तीय वर्ष 2009–10 में रूपये 150.66 लाख की राशि का अनुमान केवल अंतिम वेतन पुनरीक्षण से पूर्व दर के अनुसार किया गया था (इसके अंतर्गत मंहगाई वेतन को पृथक से दर्शाया गया था) । राभाप्रेके द्वारा एक परिशिष्ट प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत 90 पदाधिकारियों तथा 16 नवीन नियुक्त किये गये सहायक यंत्रियों को देय वेतन के विवरण शामिल हैं, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कुल मूल वेतन + ग्रेड वेतन की कुल राशि रूपये 419.91 लाख होगी तथा कुल वेतन तथा भत्ते की राशि रूपये 583.65 लाख होगी।

1.11 राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 730 दिनांक 24.4.2010 द्वारा कर्मचारी लागत को पुनरीक्षित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, वेतन घटक के पूर्वानुमानों की पुनर्गणना की गई है तथा 16 सहायक यंत्रियों के वेतन संबंधी प्रावधान को राभाप्रेके में उनकी पदस्थापना के पश्चात् देय वेतन की सीमा तक, अर्थात 26 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 तक पुनरीक्षित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, माह अप्रैल 2010 तथा जुलाई 2010 हेतु घोषित वास्तविक मंहगाई भत्ते के अनुसार, मंहगाई भत्ते हेतु प्रावधान को 22 प्रतिशत (6माह) + 27 प्रतिशत (6माह) से 22 प्रतिशत (1माह) + 25 प्रतिशत (3माह) + 27 प्रतिशत (4माह) + 30 प्रतिशत (4माह) पुनरीक्षित किया गया है। इस प्रकार, पुनरीक्षित कर्मचारी लागत की राशि याचिका में किये गये उल्लेखानुसार रूपये 583.65 लाख से घट कर रूपये 560.09 लाख हो गई है।

1.12 आयोग द्वारा पाया गया है कि याचिका में टर्मिनल प्रसुविधाओं, जैसे कि भविष्य निधि (PF), उपादान (Gratuity) तथा पेंशन हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा अवकाश नगदीकरण, अवकाश यात्रा भत्ता, अधिसमय (ओवर टाईम), प्रोत्साहनों आदि बावत् कोई दावा नहीं किया गया है। किसी प्रकार के कर्मचारी व्यय को भी पूंजीकृत नहीं किया गया है।

1.13 वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु कर्मचारी संबंधित व्ययों के विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु इनके पूर्वानुमानों को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :

**तालिका 5 : राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दावा किये गये कर्मचारी व्ययों के विवरण (राशि लाख रूपये में)**

| विवरण | वर्ष 2009–10 (टैरिफ आदेश के अनुसार) | वर्ष 2010–11 (मूल याचिका के अनुसार) | वर्ष 2010–11 (पुनरीक्षित याचिका के अनुसार) |
|---|---|---|---|
| वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक कार्यरत कर्मचारी संख्या | 90 | 90 | 90 |
| वर्ष के प्रारंभ में स्वीकृत कर्मचारी संख्या | 135 | 135 | 135 |
| मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त वेतन, मुख्य भत्ते आदि | 413.51 | 560.83 | 537.64 |
| अन्य भत्ते (चिकित्सा, यात्रा, बकाया राशि, कामगार मुआवजा आदि) | 66.90 | 14.49 | 14.12 |
| प्रशिक्षण तथा कर्मचारी कल्याण व्यय | 3.10 | 5.70 | 5.70 |
| कर्मचारियों को देय बोनस/अनुग्रह राशि | 0.00 | 2.63 | 2.63 |
| सेवानिवृति पश्चात् टर्मिनल प्रसुविधाएं/ अर्जित अवकाश नगदीकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **सकल कर्मचारी व्यय** | **483.51** | **583.65** | **560.09** |
| (घटायें) : पूंजीकृत किये गये व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **शुद्ध कर्मचारी व्यय** | **483.51** | **583.65** | **560.09** |

1.14 आयोग द्वारा वेतन संबंधी विवरणों का सूक्ष्म परीक्षण करते समय यह पाया गया कि राभाप्रेके द्वारा अनुग्रह (Ex-Gratia) हेतु रूपये 2.63 लाख की राशि का प्रावधान किया गया था। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सांविधिक आवश्यकता नहीं है। आयोग द्वारा अनुग्रह भुगतान हेतु किये गये रूपये 2.63 लाख के प्रावधान को घटा दिया गया है। **आयोग वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रूपये 557.46 लाख की कर्मचारी लागत का अनुमोदन प्रदान करता है।**

**प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (Administrative & General Expenses)**

1.15 मूल याचिका के अंतर्गत, राभाप्रेके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों हेतु रूपये 136.90 लाख की राशि का पूर्वानुमान किया गया है। प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के अंतर्गत कई शीर्ष आते हैं, यथा, बीमा, परिवहन ( Conveyance) व्यय, दूरभाष व्यय, वाहन–भाड़ा प्रभार, किराये (Rents), स्टेशनरी व्यय, विद्युत प्रभार, अतिथि–सत्कार व्यय, विधिक व्यय, अंकेक्षण शुल्क, तकनीकी एवं व्यावसायिक शुल्क, कर, मुद्रांक प्रभार, सुरक्षा सेवा प्रभार, अन्य विविध प्रभार आदि।

1.16 राभाप्रेके ने पत्र क्रमांक 730 दिनांक 24.4.2010 के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय पुनरीक्षित कर दिये गये हैं, जिसमें उल्लेख है कि *''प्रतिवादी क्रमांक 5 के प्रतिनिधि मप्र पूर्व क्षेत्र विविकं., जबलपुर ने सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि राभाप्रेके के विद्युत देयकों की राशि*

*अवधि अप्रैल 2009 से फरवरी, 2010 के मध्य (11माह हेतु) रूपये 29.81 लाख है तथा माननीय आयोग को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु उपरोक्त देयकों के आधार पर विद्युत प्रभारों पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत प्रभार याचिका में उल्लेखित रूपये 90.15 लाख के स्थान पर रूपये 35.35 लाख (अर्थात वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु रूपये 32.14 लाख पर 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि कर) पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया । इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक तथा सामान्य प्रभारों की गणना याचिका में उल्लेखित रू. 136.90 लाख के स्थान पर रूपये 82.10 लाख आती है।''*

**तालिका 6 : राभाप्रेके द्वारा दावा किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के विवरण (लाख रूपये में)**

| विवरण | वर्ष 2009–10 (टैरिफ आदेश अनुसार) | वर्ष 2010–11 (मूल याचिका के अनुसार) | वर्ष 2010–11 (पुनरीक्षित याचिका के अनुसार) |
|---|---|---|---|
| प्रशासनिक व्यय (दूरसंचार,, यात्रा, मप्रविनिआ/ डब्लूआरपीसी शुल्क) | 29.97 | 30.39 | 30.39 |
| अन्य प्रभार (मुद्रण, स्टेशनरी, कार्यालयों हेतु विद्युत प्रभार, अतिथि सत्कार, विविध व्यय आदि) | 8.61 | 8.86 | 8.86 |
| कार्यालय हेतु विद्युत प्रभार | 90.15 | 90.15 | 35.35 |
| विधिक प्रभार | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| सामग्री से संबंधित व्यय | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| **सकल प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय** | **136.23** | **136.90** | **82.10** |
| घटायें : पूंजीकृत किये गये व्यय | 0 | 0 | 0 |
| **शुद्ध प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय** | **136.23** | **136.90** | **82.10** |

1.17 आयोग द्वारा पाया गया है कि राभाप्रके द्वारा कार्यालय से संबंधित विद्युत प्रभारों के दावे को पुनरीक्षित याचिका के प्रस्तुतिकरण में रू. 82.10 लाख पुनरीक्षित कर दिया गया है। **आयोग संशोधित पुनरीक्षित याचिका के अनुसार रूपये 82.10 लाख के प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों को अनुमोदन प्रदान करता है।**

**मरम्मत तथा संधारण व्यय (Repairs & Maintenance Expenses)**

1.18 मूल याचिका के अंतर्गत राभाप्रेके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु मरम्मत तथा संधारण व्ययों का पूर्वानुमान रूपये 204.92 लाख किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु व्यय के पूर्वानुमानों में स्काडा तथा वाईड वैंड संसूचना प्रणाली हेतु दीर्घ अवधि सेवा अनुबंध, सहायक विद्युत प्रदाय प्रणाली का वार्षिक संधारण अनुबंध (एएमसी) तथा प्रणाली सहायता सेवाऐं (System Support Services) शामिल हैं।

1.19 राभाप्रके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 730 दिनांक 24.4.2010 द्वारा मरम्मत तथा संधारण व्ययों को पुनरीक्षित किया गया है जिसमें उल्लेख है कि *'' हाल ही में, पश्चिमी क्षेत्र पावर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्काडा/ईएमएस प्रणाली के दीर्घ–अवधि सेवा अनुबंध हेतु कोई भी उपरि प्रभार पावर ग्रिड को भुगतान–योग्य न होंगे। तदनुसार, स्काडा/ईएमएस प्रणाली के लिए दीर्घ–अवधि सेवा अनुबंध हेतु विभागीय प्रभारों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार, पुनरीक्षित मरम्मत तथा संधारण व्यय की गणना याचिका में किये गये उल्लेखानुसार रूपये 204.92 लाख के स्थान पर रूपये 189.35 लाख आ रही है। ''*

**तालिका 7 : राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दावा किये गये मरम्मत तथा संधारण व्ययों के विवरण (लाख रूपये में)**

| विवरण | वर्ष 2009–10 (टैरिफ आदेश अनुसार) | वर्ष 2010–11 (मूल याचिका के अनुसार) | वर्ष 2010–11 (पुनरीक्षित याचिका के अनुसार) |
|---|---|---|---|
| संयंत्र तथा मशीनरी | 166.82 | 201.52 | 185.95 |
| भवन | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सिविल कार्य | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| फर्नीचर तथा फिक्सचर | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| कार्यालय उपकरण | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| **सकल मरम्मत तथा संधारण व्यय** | **170.22** | **204.92** | **189.35** |
| (घटाये) : पूंजीकृत किये गये व्यय | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **शुद्ध मरम्मत तथा संधारण व्यय** | **170.22** | **204.92** | **189.35** |

1.20 मरम्मत तथा संधारण व्ययों को पूंजीकृत नहीं किया गया है। आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 230 दिनांक 25.1.2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान वास्तविक व्यय के विवरण चाहे गये थे तथा संयंत्र व मशीनरी की मरम्मत तथा संधारण व्यय के पूर्वानुमानों को रूपये 166.82 लाख से बढ़ाकर रूपये 201.52 लाख किये जाने के कारण भी चाहे गये थे। राभाप्रेके ने अपने पत्र क्रमांक 252 दिनांक 10.2.2010 द्वारा सूचित किया कि यह वृद्धि मुख्यतः स्काडा तथा वाईड बैंड संसूचना हेतु दीर्घ अवधि सेवा अनुबंध की अवधि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु 12 माह मानी गई होने के कारण थी जबकि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु स्काडा की अवधि केवल 5 माह मानी गई थी। आयोग यह मानता है कि राभाप्रेके को सृदृढ़ किये जाने तथा स्वायत्तता (Ring Fencing) प्रदान करने हेतु यह अत्यावश्यक है कि राभाप्रेके के पास पर्याप्त अधोसंरचना विद्यमान हो जिसे समय–समय पर समुन्नत किया जाए तथा इसे संधारित भी किया जाए। **अतएव, आयोग मरम्मत तथा संधारण हेतु प्रस्तावित रू. 189.35 लाख के व्ययों को उसके द्वारा पुनरीक्षित याचिका में पूर्वानुमान किये गये अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है।** वास्तविक व्यय किये जाने पर किसी प्रकार के अंतर का समायोजन वित्तीय वर्ष 2010–11 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के सत्यापन के समय किया जाएगा।

1.21 उपरोक्त चर्चा के आधार पर, आयोग प्रचालन तथा संधारण व्ययों का अनुमोदन निम्न दर्शाए अनुसार करता है :

**तालिका 8 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये प्रचालन तथा संधारण व्यय (लाख रूपये में)**

| स. क्र. | विवरण | राभाप्रेके द्वारा प्रस्तावित | मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित |
|---|---|---|---|
| 1 | शुद्ध कर्मचारी व्यय | 560.09 | 557.46 |
| 2 | शुद्ध प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय | 82.10 | 82.10 |
| 3 | शुद्ध मरम्मत तथा संधारण व्यय | 189.35 | 189.35 |
| | **कुल प्रचालन तथा संधारण व्यय** | **831.54** | **828.91** |

**अवमूल्यन (Depreciation)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण**

1.22 म.प्र.शासन ने राभाप्रके की परिसम्पत्तियों को एमपीपीटीसीएल के एक भाग के रूप में चिन्हित किया है। अवमूल्यन राशि की गणना रूपये 12.52 लाख की गई है। तथापि, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण संबंधी पारित आदेशों के अनुरूप इन प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित नहीं किया गया है।

**आयोग द्वारा विश्लेषण**

1.23 याचिकाकर्ता द्वारा किसी प्रकार के अवमूल्यन हेतु अनुरोध नहीं किया गया है क्योंकि म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 12 जून, 2008 के अनुसार राभाप्रेके हेतु कोई पृथक प्रारंभिक तुलन–पत्र (Balance Sheet) अधिसूचित नहीं किया गया है। आयोग याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करता है तथा अवमूल्यन के लिए कोई भी राशि इस आदेश से आवंटित नहीं की गई है।

**ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest &Finance Charges)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण**

1.24 ब्याज तथा वित्त प्रभारों में केवल एक ही घटक होता है, अर्थात् कार्यकारी पूंजी पर ब्याज। कार्यकारी पूंजी की गणना में कर्मचारी लागत, प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय, मरम्मत तथा संधारण व्यय एवं कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की राशि मानकर की जाती है। मासिक कार्यकारी पूंजी की राशि रूपये 78.03 लाख आती है।

**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)**

1.25 राभाप्रेके के शुल्क तथा प्रभारों संबंधी पुनरीक्षित विनियम के अनुसार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर की गणना मानदण्डीय आधार पर चालू वर्ष की 1 अप्रैल की तिथि अनुसार भारतीय स्टेट

बैंक की लघु अवधि प्रधान ऋण प्रदाय दर में 1 प्रतिशत जोड़कर की गई है। तदनुसार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज 14 प्रतिशत की दर से लिया गया है। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना रूपये 10.92 लाख आती है।

## आयोग का विश्लेषण

1.26 राभाप्रेके द्वारा याचिका संबंधी प्रपत्र एफ 8 में दाखिल की गई जानकारी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उसे किसी दीर्घ–अवधि ब्याज पर किसी ब्याज को सेवाकृत नहीं करना होता । अतएव, राभाप्रेके द्वारा अपनी याचिका में किसी भी ब्याज तथा वित्त प्रभार का दावा नहीं किया गया है। आयोग राभाप्रेके की इस प्रस्तुति को स्वीकार करता है तथा इस प्रकार इस आदेश के अंतर्गत दीर्घ अवधि ऋण पर कोई ब्याज तथा वित्त प्रभार अनुमोदित नहीं किये गये हैं।

1.27 याचिकाकर्ता ने कार्यकारी पूंजी की गणना राभाप्रेके के वित्तीय प्रबंधन हेतु एक माह की प्राप्ति योग्य राशि के आधार पर की है, जिसमें कि कर्मचारी लागत ( टर्मिनल सुविधाएं असम्मिलित कर), प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय एवं मरम्मत तथा संधारण व्यय शामिल हैं। राभाप्रेके ने कार्यकारी पूंजी ब्याज की गणना 14 प्रतिशत दर से की है। विनियम के अनुसार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की लघु–अवधि प्रधान ऋण प्रदाय दर + 1 प्रतिशत = 12.25 + 1.00 = 13.25 प्रतिशत मानी जाए।

1.28 तथापि, आयोग की अभ्युक्ति है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश में, राभाप्रेके को उसके द्वारा पूंजीगत व्यय निधि पर अर्जित ब्याज के विवरण प्रस्तुत किये जाने बाबत् निर्देश दिये गये थे। आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 230 दिनांक 25.10.2010 द्वारा पैरा 3.2 के अंतर्गत राजस्व अंतर के विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश के पैरा 1.5 (ई) व 3.3 के अंतर्गत पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) तथा मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम) 2006 के विनियम 10 के अनुसार वास्तविक रूप से किये गये पूंजीगत व्यय हेतु पृथक लेखों के विवरण चाहे गये।

1.29 राभाप्रेके द्वारा अपने पत्र क्रमांक 252 दिनांक 10.2.2010 द्वारा निवेदन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश के पैरा 3.2 के अनुपालन में विद्युत वितरण कंपनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) की ओर देयक प्रस्तुत किये जा चुके हैं। विशेष आर्थिक परिक्षेत्र द्वारा प्रभारों का भुगतान किया जा चुका है। जहां तक विद्युत वितरण कंपनियों से शुल्क तथा प्रभारों से प्राप्ति का संबंध है, मप्रराविमं की वित्त शाखा द्वारा सूचित किया गया कि राभाप्रेके के वेतन, प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों एवं मरम्मत तथा संधारण व्ययों का भुगतान एमपीपीटीसीएल द्वारा किया जा रहा है तथा इन्हें राभाप्रेके के देयकों के विरूद्ध भुगतान माना जाए। जहां तक पूंजीगत व्यय निधि का प्रश्न है, लघु अवधि खुली पहुंच क्रेताओं से प्राप्त की गई प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों की राशि का 50 प्रतिशत भाग पूंजीगत व्यय योजना हेतु वार्षिक निधि

आवश्यकता की आपूर्ति हेतु पर्याप्त है। राभाप्रेके के व्ययों की आपूर्ति इस व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है अतएव इस हेतु कोई भी राजस्व अंतर पाया नहीं गया है।

1.30 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभारों का उदग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम), 2006 के विनियम 10 के परिपालन में, राभाप्रेके ने निवेदन किया है कि प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों को क्षेत्रीय लेखाधिकारी एमपीपीटीसीएल कार्यालय के एसएलडीसी लेखा में जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के प्रमाणित कच्चे चिट्ठे पर आधारित विस्तृत चार्ट यह दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान रूपये 1,38,000/– का व्यय राभाप्रेके के नियंत्रण कक्ष में विभाजित वातानुकूलन संयंत्र प्रदान किये जाने हेतु किया गया है। प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों, पूंजीगत व्यय हेतु अनुज्ञेय की गई 50 प्रतिशत राशि तथा पूंजीगत व्यय हेतु उपलब्ध वार्षिक अवशेष राशि निम्न तालिका में दर्शाई गई है : (राशि लाख रूपये में)

| **वित्तीय वर्ष** | **अग्रेनयन राशि (Amount Carried)** | **पूंजीगत व्यय हेतु अनुज्ञेय की गई 50 प्रतिशत राशि** | **वास्तविक व्यय** | **पूंजीगत व्यय हेतु उपलब्ध अवशेष राशि** |
|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2006–07 | Rs. 39.18 | Rs. 19.59 | - | 19.59 |
| वित्तीय वर्ष 2007–08 | Rs. 67.64 | Rs. 33.82 | - | 33.82 |
| वित्तीय वर्ष 2008–09 | Rs. 125.37 | Rs.62.685 | 1.388 | 61.297 |
| **योग** | | | | **114.707** |

जैसा कि उपरोक्त तालिका में अवलोकन किया जा सकता है, राभाप्रेके के पास पूंजीगत व्यय हेतु रूपये 1.147 करोड़ की अवशेष राशि उपलब्ध है।

1.31 इसके अतिरिक्त, राभाप्रेके ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 10.2.2010 में उल्लेख किया है कि ''इस प्रकार कोई राजस्व अंतर होना नहीं पाया गया है।'' आयोग इस आदेश के अंतर्गत कर्मचारी व्ययों की आपूर्ति हेतु राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभार, प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय, मरम्मत तथा संधारण व्यय अनुज्ञेय कर रहा है तथा इस प्रकार वह वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंतिम टैरिफ आदेश के पैरा 2.16 की अभ्युक्ति के अनुरूप ही अपना दृष्टिकोण अपना रहा है। **अतएव आयोग इस आदेश के अंतर्गत कर्मचारी पूंजी पर ब्याज को अनुमोदन प्रदान नहीं कर रहा है।** चूंकि वित्तीय वर्ष 2009–10 इस याचिका के प्रस्तुतिकरण के समय भी जारी था, अतएव वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु इस आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु सत्यापन नहीं किया गया है। यदि राभाप्रेके कार्यकारी पूंजी पर अर्जित ब्याज पर कोई वास्तविक व्यय वहन करता है तथा पूर्व के वर्षों में रखी गई निष्क्रिय राशि के संबंध में विवरण प्रदान करता है तो इसका दावा सत्यापन याचिका के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है।

**पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण**

1.32 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना मानदण्डीय ऋण तथा पूंजी के 70 : 30 के अनुपात पर आधारित रूपये 12.44 लाख की गई है। तथापि, आयोग के वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु पारित आदेश के अनुरूप, इन प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित नहीं किया गया है।

**आयोग का विश्लेषण**

1.33 वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु याचिकाकर्ता द्वारा पूंजी पर प्रतिलाभ का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि राज्य शासन के आदेश दिनांक 12 जून, 2008 द्वारा राभाप्रेके को कोई पूंजी (Equity) आवंटित नहीं की गई थी। आयोग राभाप्रेके के निवेदन को स्वीकार करता है तथा इस आदेश के अंतर्गत पूंजी पर प्रतिलाभ पर किसी भी राशि को अनुमोदन प्रदान नहीं कर रहा है।

**अन्य–संवैधानिक करों, उपकरों, आदि का भुगतान (Other-Payment of Statutory Taxes, Cess etc.)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण**

1.34 राभाप्रेके द्वारा राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों से उद्ग्रहित तथा संग्रहित किये जाने वाले शुल्क तथा प्रभारों की गणना में संवैधानिक करों, उद्ग्रहण (levy), उपकर (Cess) अथवा शासन अथवा अन्य किसी संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाया गया अन्य किसी प्रकार का महसूल (Impost) शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार के व्यय, यदि कोई हों, को राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इनका समायोजन अनुवर्ती वर्षों में किया जाएगा।

**आयोग का विश्लेषण**

1.35 आयोग राभाप्रेके का निवेदन स्वीकार करता है। इस प्रकार के करों, उपकरों आदि का संव्यवहार उचित रूप से इन्हें वास्तविक रूप से वहन किये जाने पर तथा सत्यापन याचिका में इनका दावा किये जाने पर किया जाएगा।

**अन्य आय (Other Income)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण**

1.36 रूपये 171.00 लाख की अन्य आय के पूर्वानुमान को खुली पहुंच क्रेताओं से प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों, संयोजन प्रभारों तथा आवेदन प्रक्रिया शुल्क से आय के रूप में किया गया है।

1.37 *विनियमों की कण्डिकाओं 9.14 तथा 10.00 में प्रावधान किया गया है कि*

*''आयोग द्वारा अवधारित राज्य भार पारेषण केन्द्र प्रचालनों हेतु समस्त प्रभारों से आय को आय माना जावेगा। इस आय में समस्त शुल्क तथा प्रभार, जैसे के आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये जावें, सम्मिलित होंगे।*

***प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभार***

*वे क्रेतागण जो दीर्घ–कालीन अनुबंध सम्पादित कर रहे हैं, को प्रणाली प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों का भुगतान नहीं करना होगा परन्तु, उन्हें प्रत्येक बार अनुसूचीकरण के पुनरीक्षण किये जाने पर प्रभारों का भुगतान, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जावे, करना होगा।*

*प्रणाली प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभार जैसा कि वे आयोग द्वारा प्रति सौदा (ट्रांसेक्शन) प्रति दिवस अथवा उसके किसी भाग के आधार पर अवधारित किये जावें, समस्त लघु–कालीन, खुली पहुंच क्रेतागणों द्वारा जो राज्य पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हों, प्रति माह अग्रिम में भुगतान करना होंगे। उन्हें प्रत्येक बार अनुसूची के पुनरीक्षण किये जाने बाबत् प्रभारों के भुगतान, जैसे कि वे आयोग द्वारा अवधारित किये जावें, करना होंगे।*

*विनियम 10 के अनुसार उपरोक्त लघु–कालीन उपभोक्ताओं से प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभारों से अर्जित राजस्व की पचास (50) प्रतिशत राशि राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्वयं के द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पूंजीगत व्यय हेतु अधोसंरचना विकास के प्रयोजन से रोक ली जावेगी। शेष 50 प्रतिशत राजस्व को अनुवर्ती वर्ष हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क तथा प्रभारों की गणना हेतु माना जावेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस प्रकार अर्जित की गई राशियों का पृथक लेखा संधारित करेगा तथा आयोग द्वारा उसके वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अवधारण के समय उसे किये गये धन विनियोग का विवरण प्रकट करना होगा।''*

**आयोग का विश्लेषण :**

1.38 याचिका के प्रपत्र एफ–1 में राभाप्रेके द्वारा अन्य आय का अनुमान निम्नानुसार किया गया है :

**तालिका 9 : अन्य आय (राभाप्रेके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार )**

| सरल क्रमांक | विवरण | राशि (लाख रूपये में) |
|---|---|---|
| 1 | संयोजन प्रभार | 6.00 |
| 2 | प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभार (50 प्रतिशत आय के रूप में) | 75.00 |
| 3 | लघु अवधि खुली पहुंच क्रेताओं हेतु आवेदन प्रक्रियाबद्ध किये जाने संबंधी शुल्क (प्रोसेसिंग फी) | 90.00 |
| | **संयोजन तथा प्रचालन प्रभारों से कुल आय** | **171.00** |

1.39 आयोग राभाप्रेके के निवेदन को स्वीकार करता है तथा राभाप्रेके की अन्य आय रूपये 171.00 लाख जो कि आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अंतिम टैरिफ आदेश की रूपये 160.00 लाख की अनुमानित आय से रूपये 11 लाख रूपये अधिक है, को अनुमोदन प्रदान करता है।

**वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखों का पुनर्मिलान/सत्यापन वित्तीय वर्ष 2009–10 के आदेश के साथ किया जाना (Reconcilation/True up of FY 2009-10 account with FY 2009-10 Order)**

1.40 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के व्ययों का सत्यापन वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश में किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु आयोग द्वारा टैरिफ आदेश 26.11.2009 को पारित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु लेखा तैयार किये जाने संबंधी प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है।

1.41 आयोग राभाप्रेके को निर्देश देता है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु सत्यापन याचिका वित्तीय वर्ष 2011–12 की टैरिफ याचिका के साथ प्रस्तुत की जाए तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु सत्यापन आयोग द्वारा उक्त समय पर किया जाएगा।

**वार्षिक राजस्व आवश्यकता की संक्षेपिका**

1.42 उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राभाप्रेके की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को निम्न तालिका में सारबद्ध किया गया है :

**तालिका 10 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता**

**(लाख रूपये में)**

| स. क्र. | विवरण | राभाप्रेके की याचिका अनुसार | राभाप्रेके द्वारा किये गये पुनरीक्षण के अनुसार | मप्रविनिआ द्वारा अनुमोदित |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शुद्ध कर्मचारी व्यय (टर्मिनल प्रसुविधाओं को छोड़कर) | 583.65 | 560.09 | 557.46 |
| 2 | शुद्ध प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय | 136.90 | 82.10 | 82.10 |
| 3 | शुद्ध मरम्मत एवं संधारण व्यय | 204.92 | 189.35 | 189.35 |
| 4 | अवमूल्यन | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ऋणों पर ब्याज | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
| 7 | पूंजी पर प्रतिलाभ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | आय कर | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9** | **कुल राजस्व व्यय** | **936.39** | **842.46** | **828.91** |
| 10 | घटायें : संयोजन तथा प्रचालन प्रभारों से आय | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| **11** | **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता** | **765.39** | **671.46** | **657.91** |

**वार्षिक राभाप्रेके के प्रभारों का आवंटन**

1.43 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम) 2006 के विनियम 11.2 के अनुसार, दीर्घ अवधि अनुबंध करने वाले वैयक्तिक अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं हेतु राभाप्रेके प्रभारों का आवंटन आयोग द्वारा

अवधारित कुल पारेषण क्षमता के अंशदान आवंटन के अनुपात में किया जाएगा। तदनुसार, वार्षिक राभाप्रेक प्रभारों की गणना निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

**तालिका 11 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं हेतु वार्षिक राभाप्रेके प्रभार**

| स. क्र. | विवरण | दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेता | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पूर्व क्षेत्र विविकं | पश्चिम क्षेत्र विविकं | मध्य क्षेत्र विविकं | विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, इंदौर | |
| 1 | वार्षिक राभाप्रेके प्रभारों का योग (लाख रूपये में | | | | | 657.91 |
| 2 | पारेषण क्षमता का दीर्घ अवधि आवंटन (मेगावाट में) | 2685 | 2927 | 3032 | 12 | 8656 |
| 3 | दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं द्वारा भुगतान योग्य वार्षिक राभाप्रेके प्रभार की राशि (लाख रूपये में) | 204.08 | 222.47 | 230.45 | 0.91 | 657.91 |
| 4 | दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं द्वारा भुगतान योग्य वार्षिक राभाप्रेके प्रभार की राशि (रूपये/ मेगावाट में ) | | | | | 7600.62 |

## शुल्क तथा प्रभारों की संक्षेपिका

1.44 मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण–प्रथम), 2006 के विनियम 12.5 के अनुसार यदि वर्तमान में लागू शुल्क तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्वों तथा आगामी वित्तीय वर्ष की राजस्व आवश्यकता के मध्य कोई राजस्व अंतर परिलक्षित हो तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र एक प्रस्ताव भी समाहित करेगा जिसमें वह प्रस्तावित करेगा कि वह किस प्रकार राजस्व अंतर को घटायेगा। चूंकि राभाप्रेके से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथा खुली पहुंच प्रकरणों में वृद्धि दर्ज हुई है, यह माना जाता है शुल्क तथा प्रभारों का विद्यमान स्तर राभाप्रेके के वार्षिक व्ययों की आपूर्ति हेतु पर्याप्त होगा। निम्न तालिका राभाप्रेके की सेवाओं के उपयोग हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित भार तथा प्रभारों को सारबद्ध करती है :

**तालिका 12 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विभिन्न राभाप्रके शुल्कों व प्रभारों की प्रयोज्यता एवं उद्ग्रहण**

| स. क्र. | निम्न हेतु प्रयोज्य शुल्क/प्रभार | अनुबंध के प्रकार के आधार पर क्रेता श्रेणी को प्रयोज्यता | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दीर्घ अवधि | | | लघु अवधि | | | अक्षय ऊर्जा स्त्रोत | | |
| | | हां/ नहीं | आवृत्ति | राशि रू. | हां/ नहीं | आवृत्ति | राशि (रू.) | हां/ नहीं | आवृत्ति | राशि (रू.) |

| स. क्र. | निम्न हेतु प्रयोज्य शुल्क / प्रभार | अनुबंध के प्रकार के आधार पर क्रेता श्रेणी को प्रयोज्यता | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दीर्घ अवधि | | | लघु अवधि | | | अक्षय ऊर्जा स्त्रोत | | |
| | | हां / नहीं | आवृत्ति | राशि रू. | हां / नहीं | आवृत्ति | राशि (रू.) | हां / नहीं | आवृत्ति | राशि (रू.) |
| 1 | संयोजन शुल्क | हां | एक बार | 1,00,000 | हां | एक माह हेतु एक बार में अथवा उसके अंश हेतु | 5,000 | हां | केवल एक बार भले वह दीर्घ अवधि अथवा लघु अवधि हो | 5,000 |
| | | अतिरिक्त लघु अवधि खुली पहुंच हेतु कोई प्रभार देय नहीं होंगे | | | | | | | | |
| 2 | वार्षिक राभाप्रेके प्रभार | हां | दो अर्द्ध वार्षिकी किस्तों में | 7600.62 प्रति मेगावाट, आवंटित पारेषण क्षमता का | नहीं | – | – | नहीं | – | – |
| 3 | प्रचालन तथा अनुसूचीकरण | नहीं | – | – | हां | प्रति लेनदेन प्रतिदिवस अथवा उसके अंश हेतु | 3000 | नहीं | – | – |
| 4 | अनुसूची का पुनरीक्षण | हां | प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु | 3000 | हां | प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु | 3000 | नहीं | – | – |

## विविध (Miscellaneous)

### विलंब भुगतान अधिभार (Late Payment Surcharge)

1.45 ऐसे प्रकरण में जहां राभाप्रेके शुल्क तथा प्रभारों के देयकों का भुगतान राभाप्रेके द्वारा इसकी प्रस्तुति दिनांक से 60 दिवस के बाद किया जाता है, तो ऐसी दशा में राभाप्रेके विलंब भुगतान अधिभार 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से, दैनिक आधार पर, राभाप्रेके द्वारा देयकों की प्रस्तुति दिनांक से अधिरोपित किया जाएगा।

### शीघ्र भुगतान किये जाने पर छूट (Rebate on early payment)

1.46 राभाप्रेके के शुल्कों तथा प्रभारों पर भुगतान हेतु, 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, यदि देयकों का भुगतान राभाप्रेके द्वारा इनकी प्रस्तुति दिनांक से 7 दिवस के अंदर कर दिया जाता है तथा 1 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, यदि देयकों का भुगतान राभाप्रेके द्वारा बिल की प्रस्तुति दिनांक से एक माह के भीतर कर दिया जाता है।

## अध्याय 2

## आयोग के दिशा–निर्देश

2.1 आयोग द्वारा म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्रों की प्रणाली के संचालन हेतु गठित कमेटी द्वारा जनशक्ति, प्रमाणीकरण, तथा प्रोत्साहन तथा स्वायत्तता प्रदान करने (ring fencing) से संबंधित अनुशंसाओं के संबंध में परिपालन किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं।

2.2 आयोग राभाप्रेके को वित्तीय वर्ष 2009–10 लेखों के अंतिम किये जाने के पश्चात्, राभाप्रेके के लेखा शीर्षवार वास्तविक व्यय प्रस्तुत किये जाने के निर्देश देता है।

2.3 राभाप्रेके हेतु तुलन–पत्र (Balance Sheet) तथा लाभ तथा हानि लेखा ( P & L Account) पृथक–पृथक आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु याचिका के साथ प्रस्तुत किया जाए।

2.4 आयोग राभाप्रेके को राजस्व अंतर, यदि कोई हो, को कम किये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011–12 की याचिका के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश देता है।

2.5 आयोग राभाप्रेके को वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 हेतु प्रस्तावित पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) हेतु, लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए, विस्तृत गतिविधि अनुसूची तथा प्रत्येक योजना हेतु, पृथक से एक प्रस्ताव उसके कार्यान्वयन, अनुवीक्षण तथा नियंत्रण हेतु, इस आदेश के जारी होने से 30 दिवस के भीतर, आयोग के अभिलेख तथा अवलोकन हेतु, प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश देता है।

2.6 आयोग, राभाप्रेके को मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम), 2006 के विनियम 10 की अर्हता के अनुसार, वर्ष 2007–08 से किये गये वास्तविक व्यय पूंजीगत व्यय हेतु हेतु पृथक लेखा विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

2.7 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्राप्त किये जा रहे प्रचालन तथा अनुसूचीकरण प्रभारों, संयोजन प्रभारों तथा प्रक्रियाबद्ध किये जाने संबंधी शुल्क में से पूंजीगत व्यय हेतु अंकित की गई निधि से अर्जित ब्याज के संबंध में विवरण इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर आयोग को पूर्ण विवरणों सहित, प्रस्तुत किये जाएं।

2.8 राभाप्रेके द्वारा उप–राभाप्रेके के वर्षवार विवरण उक्त वर्ष का उल्लेख करते हुए, जिसके अंतर्गत वे व्यय एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से राभाप्रेके लेखों में पृथक किये गये हैं, प्रस्तुत किये जाएं । वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु राभाप्रेके द्वारा शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु

याचिका दायर किये जाने से पूर्व एमपीपीटीसीएल के सक्षम अधिकारी का एक प्रमाण पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

———————————